2019/00128

(1)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 92/2019 अपील (GCMS 2019/00115)
पंजीयन दिनांक– 07/11/2019
निर्णय दिनांक– 27/02/2026

खेमराज पिता मोडीलाल दर्जी, निवासी पूजानगर झाड़ोल, तहसील झाडोल (फ), जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार–झाड़ोल, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 03/2018 निर्णय दिनांक 04.07.2019

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

निर्णय

दिनांक 27/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 03/2018 निर्णय दिनांक 04.07.2019 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाडोल के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.300 हैक्टयर बिलानाम भूमि पर मक्का की फसल बोकर अपीलांट खेमराज द्वारा अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार, झाडोल द्वारा धारा–91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए भूमि

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

2019/00128

(1)

से बैदखल करने तथा फसल जब्त सरकार करने के साथ ही लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित करने का दिनांक 06.11.2013 को आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 03.06.2016 को खारिज कर दी गयी। इस आदेश से व्यथित होकर द्वितीय अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में पेश की गयी। अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 17.10.2016 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, झाडोल को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया कि 06 माह में नियमानुसार नियमन का प्रकरण अनुशंषा के साथ अध्यक्ष, भू आवंटन सलाहकार समिति को प्रेषित करे तथा नियमन की पात्रता संभव नहीं हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार तहसीलदार, झाडोल द्वारा कार्यवाही की जाकर अपीलांट का कब्जा वर्ष 2000 या इसके पूर्व से लगातार नहीं होने के कारण नियमन हेतु पात्रता नहीं रखने से नियमन की अनुशंषा नहीं कर दिनांक 02.12.2017 को दिये गये आदेश में अपने पूर्व आदेश दिनांक 06.11.2013 को यथावत रखा। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में प्रस्तुत की, जो दिनांक 04.07.2019 को खारिज की जाकर तहसीलदार, झाडोल के आदेश दिनांक 02.12.2017 को यथावत रखा। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जहां से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर सत्यमेव जयते

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि आराजी नम्बर 626 रकबा 0.4000 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट का कब्जा वर्ष 1983 से चला आ रहा है। तहसीलदार के समक्ष अपीलांट ने पुराने

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

कब्जे के सभी सबूत पेश किये। ग्राम पंचायत ने दिनांक 17.05.1986 के पत्र से तहसीलदार को बताया कि आराजी नम्बर 626 रकबा 0.3200 हैक्टयर पर वर्ष 1983 के पूर्व से खेमराज का कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार दिनांक 04.06.2005 के पत्र में खेमराज का कब्जा प्रशासन काल से चला माना तथा नियमन करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। अपीलांट का पुराना कब्जा होते हुए भी नियमन की अनुशंषा नहीं कर तहसीलदार, झाडोल द्वारा कानूनी भूल की है। न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा भी अपीलांट के कब्जे को नज़र अंदाज करते हुए अपील को खारिज करने में भूल की है। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि तहसीलदार ने राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश की पूर्णतया पालना नहीं की तथा कब्जे संबंधी दस्तावेज होने उपरान्त भी नियमन हेतु अपात्र मानकर दिया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने तथा प्रकरण नियमन हेतु नियमन कमेटी के समक्ष भिजवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2008(1) आरजे पृष्ठ 670 पेश किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपील भूमि नियमन किये जाने की नियमानुसार पात्रता नहीं रखता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश नियमानुसार ही है। अतः अपील अपीलांट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी से लगती हुई, बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अपना हक जताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के क्लेम को आवंटन/ नियमन हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आने तथा मात्र अतिक्रमण के

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

आधार पर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को बेदखल किए जाने के आदेश को नियमानुकूल माना है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के समीपवर्ती राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने की मंशा से पृथक–पृथक पत्रावलियॉं कायम करवाकर अपना क्लेम प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण की गई निरस्तगी को उचित समझा जाता है। अतिक्रमण के आधार पर राजकीय भूमियों के आवंटन/नियमन का प्रयास सर्वथा अनुचित होकर हतोत्साहन योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 04.07.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील गुणावगुण के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अतिक्रमित बिलानाम भूमि से की गई बेदखली को यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर